राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(क)(O-65)अलेसे–1/**310** दिनांकः 23.07.2019

कार्यालय आदेश

श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम (लिंक नं. 3978) हाल पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर द्वारा श्री गुप्ता के कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, राजसमन्द में कार्यरत अवधि के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए पंजीकृत अपराध संख्या 195/2017, अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता, के सम्बन्ध में इस निदेशालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति क्रमांक एफ.2(क)(O-65)अलेसे–1/306 दिनांक 23.07.2019 जारी की जा चुकी है। अतः कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र प.2 (157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07.07.2010 के अनुसरण में श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम का मुख्यालय कोषालय (शहर), जयपुर रहेगा तथा वे नियमित रुप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.2(क)(O-65)अलेसे–1/**310** दिनांकः 23.07.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय एवं अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय–द्वितीय जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. कोषाधिकारी, कोषालय (शहर), जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, विधि/जांच, कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक, ए.सी.पी. को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)